

विषयक,

कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर,
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।

(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक 27 जनवरी, 2017

विषय:- राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, 2017 को मतदाताओं द्वारा शपथ लिए जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उत्तर प्रदेश द्वारा जारी पत्र संख्या-31/सी0ई0ओ0-4-34/4-2010 दिनांक 07-1-2017 एवं उसके साथ संलग्न मतदाता शपथ की हिन्दी, अंग्रेजी तथा ऊर्दू प्रति आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों में दिनांक 25-1-2017 को पूर्वान्ह 11.00बजे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर अपने अधीनस्थ अधिकारियों /कर्मचारियों को मतदाता शपथ दिलाने का कार्यक्रम आयोजित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

(रघुबीर)

एडीशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

पू0पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-31/सी0ई0ओ0-4-34/4-2010 दिनांक 07-1-2017 की छायाप्रति संलग्नक सहित प्रेषित:-

1. एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन)वाणिज्य कर,उ0प्र0।
2. कमिश्नर,वाणिज्य कर(कैम्प)उ0प्र0।
3. अपर निदेशक, कर एवं प्रबन्धन शोध संस्थान,वाणिज्य कर, गोमतीनगर, लखनऊ।
4. असिस्टेंट कमिश्नर(आई0टी0)वाणिज्य कर,मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट हेतु।

(सुनील कुमार राय)

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2,

प्रभार-ज्वाइन्ट कमिश्नर(स्थापना)वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

३

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश।

चतुर्थ तल विकास भवन, जनपथ मार्केट लखनऊ-226001

संख्या-31/सीईओ-4-34/4-2010

लखनऊ: दिनांक: 07 जनवरी, 2017

सेवा में,

1-प्रमुख सचिव/सचिव

उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

2-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयध्यक्ष
उत्तर प्रदेश।

विषय: राष्ट्रीय मतदाता दिवस-25 जनवरी, 2017 को मतदाताओं द्वारा शपथ लिये जाने के संबंध में।

महोदय,


उपरोक्त विषय पर भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से प्राप्त अर्द्धशाठ पत्र (संलग्नक सहित छाया प्रति संलग्न) का संदर्भ लेने का कष्ट करें।

2- आप अवगत हैं कि प्रत्येक वर्ष की 25 जनवरी को पूरे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का पूरे उत्साह के साथ आयोजन वर्ष 2011 से किया जा रहा है। इस वर्ष भी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दिनांक 25 जनवरी, 2017 को सातवें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन विभिन्न स्तरों पर किया जायेगा।

2- उक्त क्रम में मुझे यह कहना है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस(दिनांक-25.01.2017) के दिन पूर्वान्ह 11:00 बजे में आपके अधीन आने वाली सभी कार्यालयों में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाये जाने हेतु आयोजन किये जायें और आयोजित कार्यक्रमों में अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को मतदाता शपथ दिलायी जाय। मतदाता शपथ की हिन्दी, अंग्रेजी तथा उर्दू प्रतियां संलग्न की जा रही है। शपथ का प्रारूप मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट "www.ccouttarpradesh.nic.in" पर भी उपलब्ध है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों में दिनांक-25.01.2017 को पूर्वान्ह 11:00 बजे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों को मतदाता शपथ दिलाने का कार्यक्रम आयोजित कराने का कष्ट करें।
संलग्नक: यथोक्त।

भंडारी




(टी० वेंकटेश)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

संख्या-31(1)/सीईओ-4- तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (2) समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (3) समस्त, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (4) विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, उ०प्र० शासन।
- (5) समस्त स्वीप कोऑर्डिनेटर, एन०एस०एस०।

1983
19-1-17 सी० कमि० (प्रशा०)
सी० कमि०

(टी० वेंकटेश)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

रक्षी. कामि. गे. 11 (2-प्रशा.)

3789
31/1/2017कमिश्नर
17.01.17रक्षी. कामि. गे. 11
10.01.178044
19.1.17

24-01-17

EU 83 62 47 06012

मतदाताओं द्वारा ली जाने वाली शपथ

“हम, भारत के नागरिक, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हमारा अपने देश की लोकतांत्रिक परम्पराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए, निर्भीक होकर, धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मतदाधिकार का प्रयोग करेंगे”।

कृपया पृष्ठ पलटें

4

ہم دھندگان کا حلف

ہم ہندوستانی شہری، جمہوریت میں مستحکم یقین رکھتے ہوئے اپنے ملک کے جمہوری رواجوں اور آزادانہ غیر جانبدارانہ اور پرامن انتخابات کی روایت برقرار رکھنے اور ہر انتخاب میں بے خوف ہو کر مذہب، نسل، ذات، فرقہ زبان کے خیال سے یا کسی لالچ سے متاثر ہوئے بغیر رائے دہندگی کا حلف لیتے ہیں۔

5